



संख्या-43/2022 / 77-3099/380/2022/001-1531

प्रेषक,

मनोज कुमार मौर्य,
उप सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन,
गोमती नगर लखनऊ ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 28/11/2022

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में भूमि क्रय हेतु हडको से लिये गये ऋण के मूलधन के भुगतान हेतु सहायता की मद में उपलब्ध धनराशि की मांग के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 1640/यूपीडा/गंगा/1325/लेखा दिनांक 09.09.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में भूमि क्रय हेतु हडको से लिये गये ऋण के मूलधन के भुगतान हेतु सहायता की मद उपलब्ध धनराशि में से धनराशि निर्गत करने हेतु शासन से अनुरोध किया गया है।

2. इस संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022 -23 में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण के मूलधन के भुगतान हेतु धनराशि रू० 11154.00 लाख का प्राविधान है। उक्त प्राविधानित धनराशि में से दिनांक 01.09.2022 से 28.02.2023 तक ऋण के मूलधन की अदायगी हेतु **धनराशि रू० 92,30,00,000/-** (रुपये बयान्वे करोड़ तीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत

I/241073/2022

किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

- (1) धनराशि का आहरण कर यूपीडा के बैंक खाते अथवा किसी अन्य बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी बल्कि जिस बैंक खाते से ऋण की धनराशि आहरित की गयी है उसी बैंक खाते में ब्याज की धनराशि जमा की जायेगी।
- (2) उक्त धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।
- (3) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (4) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त (आय व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या सं0-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07- जून 2022 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 92,30,00,000 (रुपये बयानवे करोड़ तीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 2852808002400** यूपीडा द्वारा गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना के निर्माण हेतु वित्तीय संस्थाओं के लिए गए ऋण के मूलधन की अदायगी हेतु सहायता **मानक मद 20** सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/ 2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by मनोज कुमार

मौर्य

Date: 28-11-2022 19:27:14

Reason: Approved

(मनोज कुमार मौर्य),

उप सचिव,

I/241073/2022

संख्या-43/2022/77-3099/380/2022/001-1531, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
5. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन ।
6. वित्त (ई-6) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
8. नोडल बजट एलाटमेन्ट सिस्टम।
9. गार्ड फ़ाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार मौर्य),

उप सचिव,